"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 मार्च 2006—चैत्र 10, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2006

क्रमांक ई-7/37/2004/1/2.—श्री डी. के. श्रीवास्तव, भा.प्र.से., कलेक्टर, बस्तर, जगदलपुर को दिनांक 08-05-2006 से 19-05-2006 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 07, 20 एवं 21 मई, 2006 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

2. अवकाश से लौटने पर श्री श्रीवास्तव, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक कलेक्टर, बस्तर, जगदलपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री श्रीवास्तव, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीवास्तव, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री श्रीवास्तव के उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती ऋतु सेन, भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ कलेक्टर, बस्तर का चालू कार्य सम्पादित करेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2006

क्रमांक 192/सी-3554/2006/स्था/चार.—स्थानीय निवासियों की सुविधा की दृष्टि से भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में शासकीय जमा काउंटर खोला जाना है. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की निम्नलिखित शाखाओं को शासकीय संव्यवहार हेतु अधिकृत करता है :—

1. भारतीय स्टेट बैंक शाखा, चांपा, जिला जांजगीर-चांपा.
2. भारतीय स्टेट बैंक शाखा, चिरमिरी, जिला कोरिया.
3. भारतीय स्टेट बैंक शाखा, पंडरिया, जिला कबीरधाम.
4. भारतीय स्टेट बैंक शाखा, कुनकुरी, जिला जशपुर.

Raipur, the 2nd March 2006

No. 192/C-3554/2004/Est/IV.—Government deposit counters have to be opened in the branches of State Bank of India with a view to facilitate the local residents. Hence, the State Government do hereby authorise government transaction with the following branches of State Bank of India :—

1. State Bank of India Branch, Champa, distt. Janjgir-Champa.
2. State Bank of India Branch, Chirmiri, distt. Koria.
3. State Bank of India Branch, Pandaria, distt. Kabirdham.
4. State Bank of India Branch, Kunkuri, distt. Jashpur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवध बिहारी, विशेष सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2006

क्रमांक 254/183/2006/13/1.—छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम 1981 (1982 का सं.-1) यथा संशोधित अधिनियम 2004 की धारा 2 (5) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा केप्टिव पावर प्लांट द्वारा उत्पादित इकाइयों की खपत पर प्राप्त उपकर की राशि की वसूली हेतु एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के अतिरिक्त मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ को भी अधिकृत किया जाता है.

2. यह आदेश 01 अप्रैल, 2006 से प्रभावशील माना जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

कृषि (पशुपालन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2006

क्रमांक एफ 10-11/35/गौसेआ/2006.—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-10-11/2003/1/5 दिनांक 6-3-2003 के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पवन दीवान, भूतपूर्व संसद सदस्य, को छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में दिनांक 5-3-2006 के बाद से पुनर्नियुक्त करता है.

2. प्रकरण में सामान्य प्रशासन विभाग के यू.ओ.क्रमांक 18/सा.प्र.वि/2006/1/5 दिनांक 23-2-2006 द्वारा सहमति दी गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बालकृष्ण शर्मा, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2006

फा. क्र. 0609/ 3(बी)/27/2005/21-ब, (मेरिट क्रमांक-27).—राज्य शासन, श्री दिलेश कुमार यादव आत्मज श्री ढोला लाल यादव, को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2006

क्रमांक-एफ 9 59/32/05.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक एफ 9-59/32/2005 दिनांक 12-12-05 द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

विकास योजना रायपुर (उपांतरित) के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत में भू-उपयोग का विवरण	अधिनियम की धारा 23 ''क'' के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	लाभाण्डीह	201/2	0.607 हे.	कृषि	सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक (शैक्षणिक)
		209/1	0.111 हे.		
		209/2	0.223 हे.		
		209/4	0.142 हे.		
		219/2	0.409 हे.		
		योग	**1.492 हे.**		

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण रायपुर विकास योजना (उपांतरित) का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 8 मार्च 2006

रा. प्र. क्र./15/ अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	0.677	भू-अर्जन अधिकारी सीतापुर	100 बिस्तर अस्पताल निर्माण-ग्राम सीतापुर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 4 मार्च 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 9/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	सरवानी प.ह.नं.-39	0.644	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	सरवानी जलाशय के नहर में अधिग्रहित भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 मार्च 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोतासुरा प.ह.नं.-37	2.189	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कोतासुरा जलाशय अंतर्गत डूब एवं स्पील चैनल में अधिग्रहित भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 9 मार्च 2006

क्रमांक/1657/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	थैलीटोला प.ह.नं. 55	2.91	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	कोलियारी जलाशय के उप नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 9 मार्च 2006

क्रमांक/1658/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	पठानढोड़गी प.ह.नं. 55	1.96	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	कोलियारी जलाशय के उप नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 9 मार्च 2006

क्रमांक/1659/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	हर्राटोला प.ह.नं. 56	0.31	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	कोलियारी जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 9 मार्च 2006

क्रमांक/1660/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	जोशीलमती प.ह.नं. 56	0.49	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव.	कोलियारी जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 9 मार्च 2006

क्रमांक/1661/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	चिरचारीकला प.ह.नं. 57	3.13	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	कोलियारी जलाशय के उप नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2006

क्रमांक अ.वि.अ.भूअर्जन/प्र.क्र. 7अ/82, वर्ष 2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-डूमरतालाब, प. ह. नं. 104
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-30.315 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
422/2	1.056
422/3	0.404
422/4	0.215
422/5	0.223
422/6	0.210
422/8	0.224
422/9	0.202
422/10	0.530
422/12	0.009
422/12	0.007
422/13	0.007
422/14	0.009
422/15	0.019
422/16	0.006
422/17	0.012
422/18	0.010
422/19	0.010
422/20	0.009
422/21	0.009
422/22	0.009
422/23	0.009
422/25	0.014
422/26	0.011
460/01	1.621
460/02	0.526
460/06	0.247
460/07	0.526
476/01	0.441
476/02	0.323
476/03	0.222
476/04	0.170
476/05	0.101
476/06	0.283
476/08	0.072
476/09	0.040
481/01	0.150
481/02	0.279
495/01	0.364
495/02	0.589
495/03	0.404
495/05	0.404
495/04	0.404
496/01	0.295
496/02	0.729
499	0.348
500/01	0.093
500/02	0.040
500/03	0.040
500/04	0.040
500/05	0.093
502	0.263
507	0.348
503/02	0.134
504/01	0.028
509/02	0.040
510	0.248
512/01	0.002
512/02	0.093
512/03	0.140
513/01	0.026
513/02	0.040
513/03	0.013

(1)	(2)
513/04	0.041
513/05	0.138
515/01	1.226
515/02	0.152
515/03	0.202
517	0.101
518, 448	0.101
523/01, 448	0.109
523/02	1.121
460/03	0.251
476/06	0.283
464	0.316
470/07	0.405
466/05	0.119
466/08	0.100
467/02	0.077
472/15	–
475/06	–
514/03	0.047
466/03	0.089
466/06	0.304
466/09	0.563
467/04	0.077
472/16, 475/06, 514/03	0.140
472/09, 405/01, 414/01	0.209
460/04	0.207
476/02	0.323
469	0.259
477	0.595
470/02	0.163
460/06	0.247
472/07	0.049
475/12	0.162
460/02	0.526
471/03	0.453
471/05	0.125
470/03	0.040
471/01	0.081
470/01	0.587
470/06	0.081
473/02	0.095

(1)	(2)
474/01	0.097
474/02	0.097
466/01 घ	0.175
466/10	0.073
466/01	0.045
472/11, 475/06, 514/03	0.046
466/01 क	0.425
466/02	0.226
470/09	0.125
471/04	0.093
473/01	0.291
467/03	0.393
472/18	0.203
492/19	0.195
472/21	0.202
472/19	0.274
472/01	0.287
470/05	0.125
460/01	2.147
475/02	0.202
472/08	0.121
475/03	0.121
476/04	0.210
476/08	0.072
461	0.162
468/01	0.089
470/08	0.049
472/12, 475/07, 514/02	0.202
योग 141	30.315

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-ग्राम डूमरतालाब प.ह.नं. 104 तहसील - जिला - रायपुर (छ. ग.) निजी भूमि को रविशंकर विश्वविद्यालय शिक्षण की योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2006

क्रमांक अ.वि.अ.भूअर्जन/प्र.क्र. 8 अ/82, वर्ष 2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-रायपुरा, प. ह. नं. 104
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.384 हेक्टेयर,

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
309/02	0.113
309/03	0.113
309/04	0.113
309/05	0.113
309/06	0.113
309/06	0.114
309/08	0.114
026/03	0.202
026/02	0.202
317/08	0.334
317/07	0.010
325/23	0.242
309/01	0.114
318/01	1.619
318/03	0.405
320	0.975
318/04	0.380
318/05	0.050
318/06	0.039
318/07	0.033
318/08	0.044
318/09	0.022
318/10	0.022
318/11	0.090
318/12	0.017
318/13	0.016
318/02	0.775
योग 27	6.384

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-ग्राम रायपुरा, प.ह.नं. 104 तहसील - जिला - रायपुर (छ. ग.) निजी भूमि को रविशंकर विश्वविद्यालय शिक्षण की योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 14 फरवरी 2006

क्रमांक 1022/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मंडलाटोला, प.ह.नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.37 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
250/1	0.95
259	0.07
264	0.05
250/2	0.61
257	0.01
275/2	0.13
260	0.07
256/1	0.13
265	0.01
250/3	0.09
256/2	0.16
223/2	0.09
योग	2.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मंडलाटोला जलाशय के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 2 मार्च 2006

क्रमांक /219/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
(ख) तहसील-पखांजूर
(ग) नगर/ग्राम-पी. व्ही. 31, हरिहरपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.222 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
157, 158	0.267
137, 16	0.356
23	0.058
18	0.028
22	0.165
99, 133	0.433
139	0.398
150	0.018
160	0.324
164/1	0.467
128	0.519
127	0.169
123	0.152
122, 277	0.275
121	0.071
120, 263	0.124
119	0.121
264	0.074
269/1	0.193
281	0.014
284/2	0.037
285	0.056
286	0.041
327	0.088
328	0.223
331	0.470
330/3	0.018

(1)	(2)
140	0.063
योग	5.222

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-लघु सिंचाई योजना हेतु केनाल निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा), पखांजूर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 2 मार्च 2006

क्रमांक /222/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-पखांजूर
- (ग) नगर/ग्राम-पी. व्ही. 29+30+माटोली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.299 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.084
3	0.125
351, 579	0.268
350	0.083
347	0.206
345	0.106
372	0.154
373, 421	0.102
374, 376	0.053
422	0.011
425, 419	0.109
418	0.028
417	0.057
415	0.155
412	0.215
430	0.095
564	0.143
562	0.254
576	0.124
580	0.044
578, 605	0.167
883	0.221
884	0.093
885	0.037
886	0.037
887	0.042
888/1	0.047
889	0.047
890	0.049
891	0.043
892	0.058
893	0.048
894	0.054
895	0.054
896	0.054
898	0.046
163	0.175
164	0.302
212	0.009
165	0.171
166	0.129
योग	4.299

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-लघु सिंचाई योजना हेतु केनाल निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा), पखांजूर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 2 मार्च 2006

क्रमांक /225/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

(ख) तहसील-पखांजूर

(ग) नगर/ग्राम-रविन्द्र नगर, पी. व्ही. 17

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.22 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
324	0.03
332	0.05
334/2	0.05
350	0.03
356	0.01
360	0.33
373/1	0.25
324/2	0.03
334/1	0.04
347	0.10
351	0.08
357	0.05
370	0.09
373/2	0.21
325/2	0.08
333	0.01
349	0.07
355	0.10
358	0.48
372	0.13
योग	2.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-लघु सिंचाई योजना हेतु केनाल निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा), पखांजूर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. धनंजय, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 16 फरवरी 2006

क्रमांक/18/भू-अर्जन/अ.वि.अ./31 अ/82/सन् 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-महासमुन्द

(ग) नगर/ग्राम-साल्हेतराई, प.ह.नं. 40

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.91 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
258	0.01
259	0.05
261	0.01
262/1	0.09

(1)	(2)
262/3	0.10
272	0.02
274	0.11
280	0.08
333/2	0.03
333/3	0.03
335	0.13
364	0.05
377	0.03
346	0.01
363	0.02
372	0.02
373	0.01
378	0.07
374	0.03
375	0.01
योग 20	0.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-साल्हे-तराई जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 23 फरवरी 2006

क्रमांक/19/भू-अर्जन/अ.वि.अ./27- अ/82/सन् 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-बकमा, प.ह.नं. 132
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
320	0.10
योग 1	0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-केशवा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक/167/प्र.-1/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-सहसपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.16 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2394	0.17

(1)	(2)
2398	0.04
2399	0.04
2400	0.06
2402/1	0.06
2402/2	0.06
2405/1	0.11
2406	0.03
2407	0.05
2408	0.03
2409	0.01
2410	0.06
2412	0.03
2568	0.01
2413	0.08
2414	0.13
2387	0.02
2537/1	0.01
2538	0.27
2540	0.02
2541	0.12
2542	0.01
2553	0.11
2230	0.11
2563	0.10
2569/1	0.01
2269/2	0.04
2569/2	0.03
2569/1	0.05
2569/3	0.04
2269/3	0.04
2608	0.03
2612	0.10
2609	0.01
2611	0.05
2610/1	0.01
2610/2	0.02
2591	0.16
2601	0.02
2597/1	0.06
2597/2	0.04
2598	0.03
2593	0.01
2599	0.05
2241/8	0.03
2241/6	0.06
2241/16	0.06
2241/18	0.01
2241/11	0.03
2241/3	0.07
2242	0.05
2231	0.03
2232	0.05
2270	0.09
2271	0.11
2246	0.01
योग 56	3.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-राजपुर जलाशय के अंतर्गत सहसपुर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 23 मार्च 2006

क्रमांक 12/अ-82/05-06.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीविशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सीपत, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर तक मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाइन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) बिलासपुर, जिला बिलासपुर-छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तुरी	परसाही/36	149/3	0.30

संजय अग्रवाल,
अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), रायपुर छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2006

क्रमांक क/सहा. ख. लि. 2/3-1/खुघो/2006.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम (12) के तहत रायपुर जिला स्थित सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा हेतु राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 30 (दिन) पश्चात् उत्खनिपट्टा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध रहेगा. आवेदन-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् आवेदित क्षेत्र के चूनापत्थर खनिज का रासायनिक विश्लेषण संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा कराया जावेगा और विधिवत् लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

ग्राम का नाम (1)	प.ह.नं. (2)	तहसील (3)	ख.नं. (4)	रकबा (5)	अन्य विवरण (6)
1. धौराभाठा	132/05	कसडोल	30/1, 30/2	0.78 एकड़ निजी भूमि	श्री गुलाटी उर्फ दुकलहा साहू निवासी धौराभाठा के नाम पर ग्राम धौराभाठा के निजी स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 30/1, 30/2 रकबा 0.78 एकड़ क्षेत्र पर चूनापत्थर उत्खनिपट्टा अवधि 27-6-2000 से 26-6-05 तक स्वीकृत पट्टा अवधि समाप्त हो जाने के कारण खदान रिक्त है.
2. चांटीपाली	135/08	कसडोल	512/7	1.10 एकड़ निजी भूमि	श्री जयराम केंवट निवासी चांटीपाली के नाम पर ग्राम चांटीपाली के निजी स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 512/7 रकबा 1.10 एकड़ क्षेत्र पर चूनापत्थर उत्खनिपट्टा दिनांक 13-2-98 से 12-2-2003 तक स्वीकृत पट्टा अवधि समाप्त हो जाने के कारण खदान रिक्त है.

एस. के. जायसवाल,
अपर कलेक्टर.

उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कोरबा (छ. ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 2 फरवरी 2006

क्रमांक/171/न.ग्रा.नि./2006.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अम्बिकापुर निवेश क्षेत्र वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त सम्मिलित किये गये ग्रामों के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23, 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और जिसको प्रदर्शनी स्थल प्रशासनिक भवन नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर के कार्यालयों में दिनांक 22-02-2006 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. अम्बिकापुर

निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

अम्बिकापुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम अजबनगर, अजिरमा, भगवानपुर, मेन्ड्राखुर्द, डिगमा, फुडूरडिहारी, अम्बिकापुर एवं मायापुर ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम मायापुर, बधियाचुवां, श्रीगढ़ एवं लुचकी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम लुचकी, पचपेढ़ी एवं लक्ष्मीपुर ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम लक्ष्मीपुर, गंगापुर, नमनाकला, किसुनपुर, अजिरमा, महावीरपुर एवं अजबनगर ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थल पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, अम्बिकापुर के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा विचार किया जायेगा.

Ambikapur, the 2nd February 2006

No. / 171/T & C P/2006.— Notice is hereby given that the existing land use maps and register for villages which have been included in Ambikapur Planning Area has been prepared under Sub-section (i) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from 22nd, February 2006 during office hours in the office of Commissioner, Nagar Palik Nigam, Ambikapur Exhibition Venue Area is defined in the Schedule given below :—

SCHEDULE

AMBIKAPUR PLANNING AREA LIMITS

North	:	Village Ajab Nagar, Ajirma, Bhagwanpur, Maindra Khurd, Digma. Phudurdihari, Ambikapur & Upto Northern Limit of village Mayapur.
East	:	Village Mayapur, Badhiyachava, Shrigarh and Upto Eastern Limit of village Luchki.
South	:	Village Luchki, Pachpadi and Upto Southern Limit of village Laxmipur.
West	:	Village Laxmipur, Gangapur, Namnakala, Kisunpur, Ajirma; Mahavirpur and Upto Western Limit of village Ajab Nagar.

If there be any objection or suggestion with the existing land use map so prepared, it should be sent in writing to the Office of the Assistant Director, Town and Country Planning, Ambikapur (C. G.), within a period of Thirty Days from the that date of publication of the Notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the period specified above will be considered by the Director.

जे. सी. निदारिया,
उप संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़ (छ. ग.)

रायगढ़, दिनांक 10 फरवरी 2006

क्रमांक 1272-ख/नग्रानि/06.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि रायगढ़ निवेश क्षेत्र वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त सम्मिलित किये गये ग्रामों के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23, 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति जिला कार्यालय रायगढ़, प्रदर्शनी स्थल कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायगढ़ व आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ के कार्यालयों में दिनांक 10-2-2006 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. रायगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

रायगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम-चिराईपानी, खैरपुर, किसनपुर, उरदना, भेलवाटिकरा एवं रेगड़ा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम-रेगड़ा, बोईरदादर, गोर्वधनपुर, छोटे अतरमुड़ा, बड़े अतरमुड़ा, गुड़गहन एवं दर्रामुड़ा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम-दर्रामुड़ा, गढ़उमरिया, डूमरपानी, कुजेडबरी एवं कोड़ातराई ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम-कोड़ातराई, पटेलपाली, छुहीपाली, ननसिया, केनापाली, जोरापाली, बरमुड़ा, कोसमपाली, कोकड़ीतराई एवं चिराईपानी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा विचार किया जायेगा.

Raigarh, the 10th February 2006

No. 1272-ख/N. G. N./06.— Notice is hereby given that the existing land use maps and register for villages which have been included in Raigarh Planning Area has been prepared under Sub-section (i) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from 10th, February 2006 during office hours in the office of Collector, Raigarh Exhibition Venue Office of the Assistant Director, Town & Country Planning, Raigarh & Nagar Palika Nigam Raigarh. The limit of the Raigarh Planning Raigarh Area is defined in the Schedule given below :—

SCHEDULE

LIMITS OF RAIGARH PLANNING AREA

North	:	Village-Chiripani, Khairpur, Krishnapur, Urdana, Bhelwatikara & upto Northern Limit of village Regda.
East	:	Village- Regda, Boirdadar, Gowardhanpur, Chote Atarmuda, Bade Atarmuda, Gudgahan & upto Eastern limit of Village-Darramuda.
South	:	Village- Darramuda, Garhumariya, Dumarpali, Kunjedabri & upto Southern limit of village Kondatarai.
West	:	Village- Kondatarai, Patelpali, Chhuhipali, Nansia, Kenapali, Jorapali, Larmuda, Kosampali, Kodaditarai & upto Western limit of Village Chiraipani.

If there be any objection or suggestion with the existing land use map so prepared, it should be sent in writing to the Assistant Director, Town & Country Planning, Raigarh C. G., within a period of Thirty Days from the that date of publication of the Notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the period specified above will be considered by the Director.

के. एस. प्रधान,
सहायक संचालक.